उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।

23 एलनगंज, प्रयागराज - 211002

विज्ञापन संख्या 02/2021 प्रवक्ता

आनलाइन आवेदन (भाग-1) पंजीकरण प्रारम्भ की तिथि	**:**	**16/03/2021**
आनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारम्भ तिथि	**:**	**16/03/2021**
आनलाइन आवेदन (भाग-1) पंजीकरण की अन्तिम तिथि	**:**	**11/04/2021**
आनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अन्तिम तिथि	**:**	**13/04/2021**
आनलाइन आवेदन (भाग-2) सबमिट करने की अन्तिम तिथि	**:**	**15/04/2021**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 2595 पदों के विषयवार, वर्गवार (बालक/बालिका संस्था हेतु) अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या-01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु, भारत के नागरिकों से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आनलाइन आवेदन करने के सन्दर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार आवेदन करें।

1- महत्वपूर्ण निर्देश:-

1(1) अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट (www.upsessb.org) पर आनलाइन आवेदन किया जायेगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे। आनलाइन आवेदन भरने के लिये विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 02 में दिये गये है।

1(2) अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अन्तिम तिथि को पद के लिये निर्धारित सभी पात्रता शर्तो को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिये अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र आनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य/गलत पाये जाने या पद के लिये पात्रता मानदण्डों के विपरीत पाये जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

1(3) प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक-पृथक आवेदन कर सकते हैं।

1(4) विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है।

1(5) भाषा सम्बन्धी प्रश्नपत्र उसी भाषा में होंगे यथा हिन्दी का प्रश्नपत्र हिन्दी में, संस्कृत का प्रश्नपत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्नपत्र अंग्रेजी में, तथा उर्दू का प्रश्नपत्र उर्दू में होगा।

1(6) लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नही है।

1(7) किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिये ही अनुमन्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

1(8) सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य के साथ सम्बद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2020 के अनुपालन में उ0प्र0 के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत् अभ्यर्थियों को सम्बन्धित सूचनायें आवेदन में देनी होंगी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समादर में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 E (11) के अनुसार अस्थायी रूप से नियुक्त ऐसे तदर्थ शिक्षको के शिक्षण सेवा का सत्यापन विधिक एवं नियमानुरूप सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जायेगा। तत्पश्चात् उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार (वेटेज), इस अधिसूचना के पैरा 10 (भर्ती प्रक्रिया) के उपखण्ड (5) के अनुसार दिया जायेगा।

1(9) तदर्थ शिक्षक जिस संवर्ग में तदर्थ अध्यापक के रूप में कार्यरत् है उसी संवर्ग (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक/ प्रवक्ता) में आवेदन करने पर ही उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार (वेटेज) का लाभ देय होगा। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार (ट्रेजरी) द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर आनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक के मध्य की जायेगी।

1(10) अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन सबमिट करने की अन्तिम तिथि दिनांक **15/04/2021** तक आनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा और न ही इसके सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस किया जायेगा। आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि (हार्ड कापी) चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नही है।

1(11) आनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट करने के पश्चात् उसमें किसी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा। अतः सभी सूचनायें पूर्ण सावधानी से भरें एवं अन्तिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी गई सूचनाओं का सत्यापन कर लें।

1(12) लिखित परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर मोबाइल फोन, ब्लू टूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर्स या कोई अन्य संचार उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नही है एवं इन अनुदेशों के उल्लंघन पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के अतिरिक्त भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबन्ध सहित अन्य अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

1(13) आनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु अभ्यर्थी प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नम्बर 0532-2466851 तथा +91-8299325775 पर सम्पर्क कर सकते है।

2- आनलाइन आवेदन करने सम्बन्धी संक्षिप्त अनुदेशः-

आनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें एवं तत्पश्चात् ही आवेदन करें। विज्ञापन से सम्बन्धित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, आनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश, सामान्य अनुदेश तथा उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हतायें आदि महत्वपूर्ण सूचनायें चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, अभ्यर्थियों द्वारा इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है।

आनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक **परीक्षा 2021 के लिये आनलाइन आवेदन** पर जाकर क्लिक करना होगा। यहाँ अभ्यर्थियों को **आल नोटिफिकेशन/एडवरटिजमेण्ट डीटेल्स** पृष्ठ के अन्तर्गत चयन बोर्ड से सम्बन्धित विज्ञापन/नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। नोटिफिकेशन के सम्मुख तीन बटन उपलब्ध हैं- (1) यूजर इन्सट्रक्शन (अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन भरने सम्बन्धी दिशानिर्देश दिये गये हैं) (2) व्यू एडवरटिजमेण्ट (पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा) (3) अप्लाई (आवेदन हेतु अप्लाई पर क्लिक करना होगा)। आनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित 3 चरणों में किया जायेगाः-

2(1). कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन ("Candidate Registration")

2(2). फीस का भुगतान ("Fee Payment")

2(3). फार्म सबमिशन ("Form Submission")

2(1) प्रथम चरण (कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन) -

अप्लाई पर क्लिक करते ही प्रत्येक सवंर्ग के अन्तर्गत विज्ञापित विषय में विज्ञापित पदों की प्रकृति, पे-स्केल, न्यूनतम प्रवेश आयु, पदों की संख्या तथा उसकी अर्हता की सूची प्रदर्शित होगी। विषय के सम्मुख **रजिस्ट्रेशन ("Registration")** पर क्लिक करने पर अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश व अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का पृष्ठ प्रदर्शित होगा। सम्पूर्ण निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा घोषणा के सापेक्ष स्वीकृति **("I Accept")** प्रदान की जायेगी। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा वर्ष 2020 के निरस्त किये गये विज्ञापन में आवेदन तथा उसके सापेक्ष शुल्क भुगतान की सूचना प्रदान करनी होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त विज्ञापन में आवेदन किया गया हो तो (पूर्व आवेदित पंजीकरण संख्या की प्रविष्टि करते हुये) उसी विषय/पद के सापेक्ष पुनः आवेदन करके शुल्क में छूट का लाभ ले सकते है, अन्यथा की दशा में नया आवेदन कर सकते है। तत्पश्चात् **कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन फार्म ("Candidate Registration Form")** प्रदर्शित होगा।

a. रजिस्ट्रेशन फार्म में अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनायें यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग (जेण्डर), वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य का निवासी, क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी विवरण (स्व0 संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता), ई0डब्ल्यू0एस0 यदि हो तो उसका विवरण, श्रेणी(आरक्षित/अनारक्षित), मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का विवरण आदि अन्य प्रासंगिक सूचनायें भरनी होंगी।

b. उक्त के अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी वर्तमान में उ0प्र0 के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक है तों उससे सम्बन्धित सूचनायें भरनी होंगी यथा तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का दिनांक, जनपद का नाम जहाँ विद्यालय स्थित है, विद्यालय का नाम, वेतन भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सम्बन्धित याचिका का विवरण (याचिका संख्या, याचिका वर्ष, मा0 उच्च न्यायालय का वेतन भुगतान आदेश दिनांक), तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिये गये अनुमोदन का विवरण (पंत्राक, पत्र दिनांक तथा वेतन भुगतान होने का दिनांक)।

c. रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के पश्चात् **वैलिडेट एण्ड प्रिव्यू (Validate & Preview)** पर क्लिक करना होगा। जिससे रजिस्ट्रेशन फार्म का प्रिव्यू दिखाई देगा किसी त्रुटि की दशा में उसमें सुधार करने हेतु रजिस्ट्रेशन फार्म पर वापस जा सकते हैं। भरी गयी समस्त सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् **सबमिट एप्लीकेशन (Submit Application)** पर क्लिक करना होगा फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। फार्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर **रजिस्ट्रेशन एक्नालेजमेण्ट स्लिप (Registration Acknowledgement Slip)** प्रदर्शित होगी, जिसमें 16 अंको के **पंजीकरण संख्या** (कैन्डीडेट रजिस्ट्रेशन नम्बर) सहित अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अन्य विवरण होंगे। प्रिन्ट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करके उक्त का प्रिन्ट लिया जा सकेगा।

2(2) द्वितीय चरण (शुल्क भुगतान)-

द्वितीय चरण के अन्तर्गत अभ्यर्थी को उसकी आवेदित श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क भुगतान हेतु रजिस्ट्रेशन एक्नालेजमेण्ट स्लिप में **''क्लिक हियर टू प्रोसीड फार पेमेण्ट''** पर अथवा परीक्षा पोर्टल के उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सेक्शन में फिलिंग आनलाइन एप्लीकेशन फार्म सेगमेण्ट के अन्तर्गत **फी डेपोजिशन (Fee Deposition/Reconciliation)** पर क्लिक करना होगा।

a. उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक 'MOPS (Multi option payment system)' का Home page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे - (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES.

b. अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान वेबसाइट पर दिये निर्देशों का पालन करते हुये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इण्टरनेट बैंकिंग या एस0बी0आई0 बैंक के ई-चालान के माध्यम में से किसी एक माध्यम द्वारा करेंगे। निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण ट्रान्जैक्शन आई.डी. (Transaction ID) सहित अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके मुद्रित प्रति प्राप्त की जा सकेगी।

c. प्राप्त ट्रान्जैक्शन आई.डी. (Transaction ID) का प्रयोग कर अभ्यर्थी फार्म का तीसरा भाग भर सकेंगे।

आवेदन शुल्क: श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैः-

क्रम	श्रेणी	आवेदन शुल्क	आनलाइन प्रक्रिया शुल्क	कुल योग
1	अनारक्षित (सामान्य)	700-00	50-00	750-00
2	ई0डब्ल्यू0एस0	600-00	50-00	650-00
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	700-00	50-00	750-00
4	अनुसूचित जाति	400-00	50-00	450-00
5	अनुसूचित जनजाति	200-00	50-00	250-00
6	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित,	क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार		
7	भूतपूर्व सैनिक,	क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार		
8	महिला	क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार		
9	विकलांग	मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान		

2(3) तृतीय चरण (फार्म सबमिशन) –

द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् तीसरे चरण में अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग (बालक/बालिका) में आवेदन किया जा रहा है, उनकी विशेष योग्यता सम्बन्धी अर्हताओं के विवरण तथा स्थाई पत्र व्यवहार का पता आदि भरना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सबमिट एप्लीकेशन फार्म (Submit Application Form) पर क्लिक करना होगा।

a. प्रदर्शित पृष्ठ पर अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, शुल्क भुगतान का विवरण, जन्मतिथि भरना होगा। इसके पश्चात् सबमिट एप्लीकेशन फार्म फार डायरेक्ट रिक्रूटमेण्ट फार्म पर अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्टित समस्त सूचनायें दिखाई जायेंगी।

b. इसी फार्म पर अभ्यर्थियों को उनकी विशेष योग्यता सम्बन्धी अर्हताओं के विवरण, अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग के सापेक्ष आवेदन किया जा रहा है, स्थाई पत्र व्यवहार का पता आदि भरना होगा तथा स्कैन्ड फोटोग्राफ, स्कैन्ड हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा।

c. अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ (3.5 सेमी. चौड़ा तथा 4.5 सेमी. लम्बा) तथा हस्ताक्षर (3.5 सेमी. चौड़ा तथा 1.5 सेमी. लम्बा) *.jpg फारमैट में स्कैन करके अपलोड करना होगा। फोटो व हस्ताक्षर के स्कैन किये हुये इमेज की साइज 5 Kb से 30 Kb के मध्य होनी चाहिये। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानकों के अनुरूप होना चाहियेः-

   i. फोटो का आकार 35 मिमी. (1.4 इंच) X (1.75 इंच) का होना चाहिये।
   ii. फोटो के लगभग 70 प्रतिशत भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिये। फोटो बहुत दूर से खींची गई न हो। फोटो में चेहरा बहुत छोटा न हो।
   iii. चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिये। चेहरे पर अत्यधिक चमक अथवा छाया नही होनी चाहिये।
   iv. चश्मा पहनने की दशा में आँखें साफ दिखनी चाहिये और शीशा रंगीन नही होना चाहिये।
   v. चेहरे के दोनों किनारे (दोनो कान) साफ दिखायी देने चाहिये।
   vi. अभिव्यक्ति तटस्थ हो (आँखे खुली, मुँह बन्द)। नजर कैमरे पर सीधी हो।
   vii. फोटो की पृष्ठभूमि सफेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिये।

d. तत्पश्चात् अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन में भरी गयी सूचनाओं के सत्यता की **घोषणा (Declaration)** करनी होगी। फार्म के निचले हिस्से में घोषणा पत्र दिखाई देगा, इसमें अभ्यर्थी द्वारा **YES** का चयन करने का तात्पर्य यह होगा कि अभ्यर्थी आवेदन में भरी गयी सूचनाओं और आँकड़ों को अंतिम रूप से सम्प्रेषित कर रहा है साथ ही समस्त सूचनाओं के सत्य एवं प्रामाणिक होने की तस्दीक कर रहा हैं। तत्पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे भविष्य के सन्दर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखेंगे। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट चयन बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोटः- अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आनलाइन भरकर आवेदन फार्म का यह दूसरा भाग निर्धारित अन्तिम तिथि तक सबमिट नही किये जाने की दशा में आवेदन अपूर्ण रहेगा तथा इसका सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

3- <u>रिक्त पदः-</u>

उपर्युक्त विज्ञापन संख्या 02/2021 द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता के रिक्त कुल 2595 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनों का विषयवार, वर्गवार (बालक/बालिका), आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या-01 में विहित है। सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य के साथ सम्बद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2020 के अनुपालन में उ0प्र0 के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत् अभ्यर्थियों के प्राप्त होने वाले अधियाचन के अनुसार रिक्त पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है।

4- <u>आयु सीमाः-</u>

आयु 01 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम न हो।

5- <u>अर्हता की तिथिः-</u>

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जायेगी।

6- <u>शैक्षिक योग्यताः-</u>

अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय दो के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट अर्हतायें होनी चाहिये। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुये संशोधनों एवं राजाज्ञाओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधित यथा परिवर्धित योग्यतायें भी मान्य होगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हतायें (सारणी संख्या 02) के रूप में संलग्न है।

7- <u>वेतनमानः-</u>

प्रवक्ता संवर्ग 47600-151100, पे लेवेल 8, ग्रेड पे 4800

8- <u>आरक्षणः-</u>

8(1) किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिये ही अनुमन्य है।

8(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछडे वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आनलाइन अग्रसारित अधियाचनों के अनुसार है।

8(3) क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले आरक्षित पदों (यथा भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, एवं दिव्यांगजन) की गणना प्राप्त अधियाचनों में आरक्षण नियमों के अधीन है।

8(4) भूतपूर्व सैनिक के लिये 5 प्रतिशत, दिव्यांगजन के लिये 4 प्रतिशत **[**(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि (वी0एच0), (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास (एच0एच0), (ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता (ओ०एच०) तथा (ङ) खण्ड क से ग के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता**,** प्रत्येक के लिये 1-1 प्रतिशत**]** , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिये 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।

नोट :- उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के शारीरिक स्वस्थता सम्बन्धी अर्हता के नियम "*(8) शारीरिक स्वस्थता-किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो*", के आलोक में शारीरिक रूप से विकलांगों हेतु संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 3 उपधारा(1) में खण्ड(दो) (घ) जो स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता के लिये प्रदत्त है, तथा खण्ड (ङ) के अन्तर्गत बधिर-अंधता हेतु प्रावधानित संशोधन चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापित रिक्तियों पर लागू नही होगा क्योकि उक्त से निःशक्त व्यक्ति द्वारा अध्यापन/शिक्षण के कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना है।

8(4)(c) भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य - उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 तथा (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने भारतीय थल सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है। इस प्रकार आवेदन करते समय या आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक जो सेवा निवृत्त हो चुके है उन्हे ही भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत मान्य किया जायेगा।

8(4)(d) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का तात्पर्य - किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सन्दर्भ में ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), **और** पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) **और** विवाहित अथवा अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) से है।

8(4)(e) शारीरिक रूप से विकलांग का तात्पर्य - शारीरिक निःशक्तता का तात्पर्य उन निःशक्तताओं [(क) दृष्टि ह्रास- अंधता, निम्न दृष्टि (ख) श्रवण शक्ति का ह्रास- बधिर, ऊँचा सुनने वाले व्यक्ति, अभिवाक् और भाषा निःशक्तता, (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता - कुष्ठ उपचारित व्यक्ति, प्रमस्तिष्क धात, बौनापन, मांसपेशी दुष्पोषण, अम्ल आक्रमण पीड़ित, (ङ) बहुनिःशक्तता एक या एक से अधिक निःशक्तता] से है जो उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2018 की संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, तथा सारणी संख्या 03 के रूप में संलग्न है।

8(5) उ0प्र0 लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 2020 दिनांक 01.02.2019 को प्रवृत्त हुआ है।

8(5) (a) इस अधिनियम की धारा 3-(1) के अनुसार लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर भर्ती की जाने वाली 10 प्रतिशत रिक्तियाँ नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित किये जाने की व्यवस्था है।

8(5) (b) इस अधिनियम के अधीन उ0प्र0 राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आरक्षण की प्रसुविधाओं के लिये पात्र नही होंगे।

8(5) (c) इस अधिनियम की धारा 3-(2) के अनुसार ''इस धारा के अधीन आरक्षण उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 के अधीन उपबन्धित आरक्षण के अतिरिक्त होगा।''

8(5) (d) इस अधिनियम की धारा 3-(5) के अनुसार ''यदि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर किसी खुली प्रतियोगिता में अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ चयनित किया जाता है तो उसे उपधारा(1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित नही किया जायेगा।''

8(5) (e) इस अधिनियम की धारा 3-(6) के अनुसार ''जहाँ किसी विशिष्ट भर्ती वर्ष में उपधारा (1)के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये कोई निश्चित की गई रिक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के किसी उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण न भरी जा सके वहाँ ऐसी रिक्तियाँ आगामी भर्ती वर्ष के लिये बैकलाग के रूप में अग्रनीत नही की जायेगी और उक्त रिक्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भर ली जायेगी।''

9- <u>परीक्षा केन्द्रः-</u>

सभी मण्डल मुख्यालयों पर ही केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र समय सारिणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जायेगी।

नोटः- यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केन्द्र से इतर केन्द्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

10-<u>भर्ती प्रक्रियाः-</u>

फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिये प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना संख्या 607/15.05.2019-604(30)-2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रियानुसार होगी। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिये लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में प्राप्त अंको और विशेष योग्यताओं हेतु अंको के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगाः-

(क) लिखित परीक्षा के आधार पर 85 प्रतिशत अंक।

(ख) साक्षात्कार के आधार पर 10 प्रतिशत अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किये जायेंगे, अर्थात्

1. सामान्य ज्ञान के आधार पर 4 प्रतिशत अंक।
2. व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3 प्रतिशत अंक।
3. अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3 प्रतिशत अंक।

(ग) निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5 प्रतिशत अंक अर्थात्

1- डाक्टरेट उपाधि रखने के लिये 2 प्रतिशत अंक।

2- शिक्षा-परास्नातक (एम0एड0) की उपाधि रखने के लिये 2 प्रतिशत अंक।

3- शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि रखने के लिये 1 प्रतिशत अंक (परन्तु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखण्ड (2) के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखण्ड (3) के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा)।

4- राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये 1 प्रतिशत अंक।

10(1) प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः-

i.	लिखित परीक्षा	-	425 अंक
ii.	साक्षात्कार	-	50 अंक
iii.	उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(4)(ग) में निहित व्यवस्थानुसार विशेष योग्यता पर अधिभार (डाक्टर कीउपाधि, एम0एड0, बी0एड0, किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिये)	-	25 अंक
	योग	-	**500 अंक**

10(2) **लिखित परीक्षाः-**प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिये विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होंगी, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। प्रश्नपत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।

10(3) **समयावधिः-** लिखित परीक्षा में प्रश्नपत्र को हल करने की समयावधि दो घण्टे की होंगी।

10(4) **प्रश्न का स्वरूपः-** सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ: Multiple choice question) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिये चार विकल्प दिये रहेंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होंगा। सही उत्तर के गोले को उत्तरपत्रक में काली स्याही की बाल पेन से काला करना होगा।

10(5) **तदर्थ प्रवक्ता संवर्गः-** सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य के साथ सम्बद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2020 के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों को दिये जाने वाले अधिभार अंक (Weightage) की व्यवस्था निम्नवत् होगीः-

10(5) (a) **तदर्थ प्रवक्ता** के लिये उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार अंक (Weightage) दिया जायेगा। एक वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक एवं अधिकतम 30 अंक साक्षात्कार के स्तर पर दिये जायेंगे।

10(5) (b) **तदर्थ प्रवक्ता** द्वारा लिखित परीक्षा में पाये गये प्राप्तांकों में, साक्षात्कार में प्राप्त अंक, विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंक तथा सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जायेगा, जो किसी भी दशा में पूर्णांक अर्थात् 500 अंक से अधिक नही होगा।

10(6) **साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्टः-** फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु समेकित मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।

10(7) **चयन हेतु पैनल :-** फ्रेश अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंकों के योग तथा तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंक व सेवा आधारित अधिभार अंकों के योग (जो किसी भी दशा में पूर्णांक अर्थात् 500 अंक से अधिक नही होगा) के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के चयन हेतु उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 के नियम-12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) समेकित पैनल सूची मेरिट क्रमानुसार तैयार की जायेगी।

10(8) **संस्था आवंटनः-** बोर्ड उपरोक्तानुसार नियम-12(8) के अधीन तैयार किये गये पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 के नियम 12(10) के अनुसार संस्था आवंटन किया जायेगा। इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों को आबंटित संस्थाओं के नामों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को बोर्ड अग्रसारित करेगा और उसकी एक प्रति संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजेगा।

11-<u>अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश:-</u>

11(1) प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्निया जीवित हो या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

11(2) कोई भी अभ्यर्थी पात्र नही होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। परन्तु संगीत विषय के लिये किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये कोई नेत्रहीन व्यक्ति अपात्र नही होगा।

11(3) किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से चुने जाने के पूर्व बोर्ड द्वारा उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी से नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

11(4) कोई पुरूष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा, परन्तु यह बात संगीत विषय के लिये किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नही होगा।

11(5) महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गो के विद्यालयों के लिये पात्र है, परन्तु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग (बालक या बालिका) का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग (बालक/बालिका) में आवेदन मान्य होगा।

11(6) प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिये मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किये जाते हैं तो अन्तिम आवेदन मान्य होगा, शेष निरस्त समझे जायेंगे।

11(7) अभ्यर्थियों को पात्रता के सम्बन्ध में चयन बोर्ड कोई परामर्श नहीं देता हैं, अतएव अभ्यर्थी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। अभ्यर्थी यदि पूर्णतः पात्र हों, तभी आनलाइन आवेदन करें अन्यथा नहीं। किसी भी दशा में आवेदन शुल्क न तो लौटाया जायेगा और न ही इसे अगले विज्ञापन हेतु आरक्षित किया जायेगा।

11(8) प्रशिक्षित स्नातक तथा प्रवक्ता पद की परीक्षाएँ अलग-अलग तिथियों में सम्पन्न होगी, पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं।

11(9) भाषा विषयों के प्रश्न उसी भाषा में होंगे यथा हिन्दी का हिन्दी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंगेजी का अंगेजी में, उर्दू का उर्दू में तथा बांग्ला का बांग्ला में इत्यादि।

11(10) किसी भी विवाद की स्थिति में निस्तारण हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन देना होगा।

<u>नोट- परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय दी जाएगी।</u>

12- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेशः-

12(1) किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, अथवा, किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर, अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयन बोर्ड की प्रश्नगत परीक्षा और अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिबन्धित भी किया जा सकता है।

12(2) कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

12(3) चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो चयन बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी और इस संबन्ध में चयन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

12(4) चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तो के अनुरूप अर्ह हैं।

12(5) ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं है, उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा।

12(6) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु सूचना ईमेल व एस.एम.एस के माध्यम से ही दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देना होगा। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

12(7) आनलाइन आवेदन ''सबमिट'' हो जाने के पश्चात् चयन बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थी की आरक्षण श्रेणी, उपश्रेणी(क्षैतिज आरक्षण श्रेणी), जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। गलत जेंडर (लिंग) भरने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, अतः गलत जेंडर (लिंग) न भरें। आनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अंतिम हैं, इसमें चयन बोर्ड द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

12(8) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी, जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

12(9) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र/उपाधि की प्रमाणित प्रति चयन बोर्ड द्वारा सूचित किये जाने पर आनलाइन अपलोड करना होगा तथा अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

12(10) आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अभ्यर्थी की आयु एक जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम अथवा 60 वर्ष से अधिक होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन ''सबमिट'' नहीं होगा।

12(11) आवेदन पत्र में यथास्थान अपना नवीनतम फोटो ही अपलोड करें। निर्धारित साइज की फोटो अपलोड न करने तथा हस्ताक्षर हेतु निर्धारित स्थान पर अथवा घोषणा पत्र पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

12(12) यदि अभ्यर्थी को आनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो अभ्यर्थी चयन बोर्ड के दूरभाष नंबर 0532-2466851 तथा +91-8299325775 द्वारा अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

12(13) आनलाइन आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि **13/04/2021** तथा आवेदन स्वीकार (''सबमिट'') किए जाने की अंतिम तिथि **15/04/2021** है।

13-आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देशः-

13(1) अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के संबन्ध में चयन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

13(2) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी आरक्षण श्रेणी अवश्य अंकित करें।

13(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, तथा विकलांगजन जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

13(4) किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने वाले खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नही होगा।

13(5) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर जारी यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल 2015, के साथ संलग्न प्रारूप पर हो।

13(6) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हो।

13(7) ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हो।

13(8) जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत् हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर चयन बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परन्तु इस आधार पर विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।

नवल किशोर
(परीक्षा नियन्त्रक)
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... सुपुत्र/सुपुत्री/श्री .... निवासी-ग्राम/.. तहसील ……….. नगर .... जिला.................................. उ.प्र. राज्य की .... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ है) संविधान (अनुसूचित जनजाति, उ0प्र0) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कु0.. तथा/अथवा उनका परिवार उ.प्र. के …………………………… ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतः रहता है।

स्थान ....
दिनांक ....
मुहर ....

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद नाम ....

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... सुपुत्र/सुपुत्री/श्री .... निवासी-ग्राम/.. तहसील ……….. नगर .... जिला.................................. उ.प्र. राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जतियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .... पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उ.प्र. लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ.प्र. लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख रू0 या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा निहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कु. .... तथा/अथवा उनका परिवार उ.प्र. के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतः रहता है।

स्थान ....
दिनांक ....
मुहर ....

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद नाम ....

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

उ0 प्र0 के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारूप

CERTIFICATE PROFORMA FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL ....

Certificate No...

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt/Kum. .... son/wife/daughter of Shri .... age .... sex .... identification mark(s) .... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:
- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic
  - (v) OA-One arm affected
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic
- (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:
- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partially Blind

C. Hearing impairment:
- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assess of this case is not recommended/ is recommended after a period of .... year .... months.

3. Percentage of disability in his/her case is .... percent.

4. Shri/Smt/Kum .... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i) F-can perform work by manipulating with fingers.	Yes/No
(ii) PP- can perform work by pulling and pushing.	Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting.	Yes/No
(iv) KC- can perform work by kneeling and crouching.	Yes/No
(v) B-can perform work by bending.	Yes/No
(vi) S-can perform work by sitting.	Yes/No
(vii) ST- can perform work by standing.	Yes/No
(viii) W-can perform work by walking.	Yes/No
(ix) SE-can perform work by seeing.	Yes/No
(x) H-can perform work by hearing/speaking.	Yes/No
(xi) RW- can perform work by reading and writing.	Yes/No

(Dr...)	(Dr...)	(Dr...)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board

Countersigned by the Medical Superintendent/CMO/HQ Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु.. निवासी…………………… ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ पौत्री अविवाहित उपरांकित 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित है।

स्थान ....
दिनांक ....
मुहर ....

हस्ताक्षर ....
....
पूरा नाम ....
....
मुहर ....

जिलाधिकारी

(सील) ....

राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति **के** लिए कुशल **खिलाड़ियों** के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) …………....................................... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) .... आयोजित राष्ट्रीय .... में उ0प्र0 राज्य की टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड **के** आधार पर दिया गया है ।

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पद ....
संस्था का नाम ....
पता ....
मुहर ....

नोटः यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल- कूद संघ **के** सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

सारणी संख्या 01 (क)   (प्रवक्ता बालक वर्ग)

Sr	Subject	GEN	OBC	SC	ST	Total
1	हिंदी	213	90	58	2	363
2	गणित	65	22	11	0	98
3	गृह विज्ञान	1	1	0	0	2
4	अर्थ शास्त्र	74	47	21	1	143
5	इतिहास	36	20	12	0	68
6	English	161	77	31	0	269
7	कला	24	18	7	0	49
8	नागरिक शास्त्र	81	46	26	0	153
9	भूगोल	124	81	45	0	250
10	मनो विज्ञान	19	8	7	1	35
11	शिक्षा शास्त्र	18	2	4	1	25
12	समाज शास्त्र	35	20	12	0	67
13	संस्कृत	147	46	38	1	232
14	जीव विज्ञान	68	28	11	1	108
15	भौतिक विज्ञान	97	42	9	0	148
16	रसायन विज्ञान	98	46	16	0	160
17	शारीरिक शिक्षा	6	5	0	0	11
18	वाणिज्य	22	17	6	0	45
19	कृषि	16	13	9	0	38
20	सैन्य विज्ञान	7	2	1	0	10
21	तर्कशास्त्र	3	2	2	0	7
	Total :	**1315**	**633**	**326**	**7**	**2281**

सारणी संख्या 01 (ख) (प्रवक्ता बालिका वर्ग)

Sr	Subject	GEN	OBC	SC	ST	Total
1	हिंदी	24	12	11	0	**47**
2	गणित	1	0	0	0	**1**
3	गृह विज्ञान	6	4	1	0	**11**
4	अर्थ शास्त्र	14	11	3	0	**28**
5	इतिहास	17	3	2	0	**22**
6	English	18	9	1	0	**28**
7	कला	20	5	2	0	**27**
8	नागरिक शास्त्र	17	8	5	0	**30**
9	भूगोल	5	3	0	0	**8**
10	मनो विज्ञान	5	4	3	0	**12**
11	शिक्षा शास्त्र	2	3	0	0	**5**
12	समाज शास्त्र	8	1	2	0	**11**
13	संस्कृत	23	8	3	0	**34**
14	जीव विज्ञान	3	3	0	0	**6**
15	भौतिक विज्ञान	9	0	1	0	**10**
16	रसायन विज्ञान	8	3	0	0	**11**
17	शारीरिक शिक्षा	1	1	0	0	**2**
18	संगीत गायन	6	1	2	0	**9**
19	संगीत वादन	6	4	2	0	**12**
	Total :	**193**	**83**	**38**	**0**	**314**

सारणी संख्या 02

प्रवक्ता पद हेतु शैक्षिक अर्हतायें

(कक्षाः- 11-12 लिए अध्यापक हेतु)

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम एवं नियमावली के अध्याय-दो का परिशिष्ट-क सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें।

क्रम0 सं0	विषय	अर्हता	वरीयमान/ अधिमानी अर्हता
1.	**हिन्दी**	**1.** हिन्दी में एम0ए0 तथा संस्कृत के साथ बी0ए0 अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अब सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी **2.** प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान (राजाज्ञा संख्या- मा0/4428/15.7.2(13)-76, दिनांक 16 मार्च, 1979 के अनुसार दिनांक 05 अप्रैल, 1975 के पूर्व हाईस्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिये यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यतायें रखते हों इण्टरमीडिएट कक्षाओं के हिन्दी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बी0ए0 उत्तीर्ण होना आवश्यक नही होंगा। **3.** हिन्दी में एम0ए0 के साथ-साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इण्टरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बी0ए0 मे संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगीं।	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
2.	**गणित**	**1.** एम0ए0 तथा एम0एस-सी0 गणित - प्रशिक्षण वरीयमान। **अथवा** **2.** गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी0ए0 (आॅनर्स) अथवा बी0एस0सी0 (आॅनर्स) - प्रशिक्षण वरीयमान	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
3.	**गृहविज्ञान**	**1.** गृह-विज्ञान में एम0एस-सी0 या गृह अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या गृह कला (होम आर्ट) में एम0ए0 **अथवा** **2.** गृहविज्ञान या गृह-अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साईन्स) या गृह कला (होम आर्ट) में प्रशिक्षित स्नातक **टिप्पणीः-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। (शासनादेश संख्या 1121/15-8-90/3087/89 दिनांक 28 फरवरी, 1990 के अनुक्रम में)	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र

4.	**अंग्रेजी**	नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री)। किसी ट्रेनिंग कालेज से एल0टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजूकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी।	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
5.	**कला**	1. इण्टरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट (जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट कहलाता था) **अथवा** 2. प्राविधिक कला के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा- (क) ड्राइंग अथवा पेन्टिग के साथ बी0 ए0 अथवा (ख) कला भवन, शान्ति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा अथवा (ग) कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा अथवा (घ) लाहौर के मेयो स्कूल आफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टीफिकेट परीक्षा। **प्रशिक्षण वरीयमान** **टिप्पणीः-** (1)- उपर्युक्त (2) के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सब के लिए आवश्यक है, परन्तु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी। (2)- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। (शासनादेश संख्या 1121/15-8-90/3087/89 दिनांक 28 फरवरी, 1990 के अनुक्रम में)	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
6.	**संस्कृत**	संस्कृत में एम0ए0 प्रशिक्षण वरीयमान अथवा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी (अब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी) का सम्पूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र

7.	वाणिज्य	एम0काम0	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
8.	कृषि	कृषि:- एम0एस0सी0 (कृषि) प्रशिक्षण वरीयमान।	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
9.	शारीरिक शिक्षा	1. स्नातक तथा 2. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा किसी अध्यापक प्रशिक्षण (एल0टी0) महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में उपाधि/डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता। **टिप्पणी:-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। (शासनादेश संख्या 1121/15-8-90/3087/89 दिनांक 28 फरवरी, 1990 के अनुक्रम में)	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
10.	संगीत गायन एवं संगीत वादन	(क) संगीत में एम0ए0 अथवा (ख) भातखंडे विद्यापीठ,लखनऊ की निपुण परीक्षा अथवा (ग) प्रयाग संगीत समिति,इलाहाबाद की प्रवीण परीक्षा अथवा (घ) माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित मे से कोई एक परीक्षा- 1. भातखंडे संगीत विद्यापीठ,लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा। अथवा 2. प्रयाग संगीत समिति,इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा, अथवा 3. गंधर्व महाविद्यालय,बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा अथवा 4. माधो संगीत विद्यालय,ग्वालियर की फाइनल परीक्षा (संगीत रत्न) अथवा 5. शंकर गंधर्व विद्यालय,ग्वालियर की फाइनल परीक्षा अथवा 6. इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा, अथवा (ड़) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का संगीत विषय के साथ बी0ए0 अथवा (च) प्रयाग संगीत समिति,इलाहाबाद का बी0टी0 डिप्लोमा अथवा (छ) भातखंडे संगीत विद्यापीठ,लखनऊ का एल0टी0एम0 डिप्लोमा **टिप्पणी:-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। (शासनादेश संख्या 1121/15-8-90/3087/89 दिनांक 28 फरवरी, 1990 के अनुक्रम में)	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र

11.	अर्थशास्त्र	1. एम0ए0 (अर्थशास्त्र) प्रशिक्षण वरीयमान अथवा 2. एम0काम0 तथा अर्थशास्त्र सहित बी0 काम0 प्रशिक्षण वरीयमान अथवा 3. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बी0ए0 (आनर्स) प्रशिक्षण वरीयमान	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
12.	तर्कशास्त्र	दर्शनशास्त्र में एम0ए0 अथवा बी0ए0 (आनर्स) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शनशास्त्र सहित, साथ में इण्टरमीडिएट अथवा बी0ए0 अथवा एम0ए0 में तर्कशास्त्र एक ऐच्छिक विषय रहा हो। प्रशिक्षित वरीयमान	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
13.	नागरिक शास्त्र	1. एम0ए0 (राजनीति) प्रशिक्षण वरीमान अथवा 2. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बी0ए0 (आॅनर्स) प्रशिक्षण	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
14.	इतिहास	1. इतिहास में एम0ए0 प्रशिक्षण वरीयमान अथवा 2. प्राचीन भारतीय इतिहास में एम0ए0 प्रशिक्षण वरीयमान अथवा 3. इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0ए0 (आनर्स) प्रशिक्षण वरीयमान **टिप्पणी:-** मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास मे स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता पद हेतु अर्ह माने जायेगें।	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
15.	भूगोल	1. भूगोल में एम0ए0 अथवा एम0एस0-सी0 प्रशिक्षण वरीयमान अथवा 2. भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी0ए0 (आनर्स) प्रशिक्षण वरीयमान अथवा बी0एस-सी0 (आनर्स)	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
16.	मनोविज्ञान	1. एम0ए0 (मनोविज्ञान) प्रशिक्षण वरीयमान अथवा 2. एम0एड0	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
17.	समाजशास्त्र	1. एम0ए0 (समाजशास्त्र) प्रशिक्षण वरीयमान अथवा 2. समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0ए0 (आनर्स)	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र

18.	सैन्य विज्ञान	1. डिग्री परीक्षा में सैन्य विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक जिसने एक वर्ष के लिये कमीशन प्राप्त किया हो। अथवा 2. कम से कम 3 वर्ष की सेवा का भारतीय सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी जिसने कम से कम इण्टरमीडिएट अथवा परिषद् से मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अथवा 3. कोई यू0ओ0टी0सी0 अथवा ए0एफ0 (1) अथवा एन0सी0सी0 अधिकारी अथवा 4. हाईस्कूल स्तर तक ज्ञान रखने वाला वायसराय कमीशन अथवा 5. हाईस्कूल स्तर तक का अंग्रेजी ज्ञान सहित आई0एन0ए0 का अफिसर टे्निंग सर्टिफिकेट रखने वाला अथवा 6. सैन्य विज्ञान या प्रतिरक्षा अध्ययन एम0एस-सी या सैन्य शिक्षा में एम0ए0 या एम0एस-सी0 **टिप्पणी:-** मद 6 के अधीन अर्हता नये व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगी। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वर्तमान अध्यापक को जो सम्बन्धित विषय में स्नातक हो या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो और जिसे कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, उपर्युक्त मद (6) में दी गयी अर्हता से छूट होगी।	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
19.	शिक्षा शास्त्र	1. शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एम0ए0 अथवा 2. एम0एड0 के साथ बी0ए0 अथवा बी0एस0-सी0 अथवा 3. एल0टी0 अथवा बी0टी0 अथवा बी0एड0 के साथ मनोविज्ञान में एम0ए0	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
20.	जीव विज्ञान	1. वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान में एम0एस-सी0 अथवा प्रशिक्षण वरीयमान 2. कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एम0एस0सी0,बी0एस-सी0 में जन्तु विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान 3. कृषि विषयक जन्तु विज्ञान के साथ एम0एस-सी0,बी0एस0सी0 में वनस्पति विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान 4. यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज से एम0एस0सी0 (लाइफ साइन्स) अथवा प्रशिक्षण वरीयमान 5. किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग,उ0प्र0 द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0एस0सी0	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र

21.	**भौतिक विज्ञान**	1. एम0 एस-सी0, (भौतिक विज्ञान) प्रशिक्षण वरीयमान अथवा 2. किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0एस0सी0	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र
22.	**रसायन विज्ञान**	1. रसायन विज्ञान में एम0एस-सी0 प्रशिक्षण वरीयमान **अथवा** 2. रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0एस-सी0 (आनर्स) प्रशिक्षिण वरीयमान **अथवा** 3. यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज से स्नातकोत्तर (बायोकेमिस्ट्री) प्रशिक्षण वरीयमान **अथवा** 4. किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0एस-सी0	बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र

नवल किशोर
(परीक्षा नियन्त्रक)
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।

सारणी संख्या 03

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण), अधिनियम,1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष से निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः-

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 23 जुलाई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया हैं, की धारा 2 में खण्ड (ड.) के स्थान निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः-

"(ड.) शारीरिक निःशक्तता का तात्पर्य उन निःशक्तताओं से है जो इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।"

3- मूल अधिनियम की धारा 3 में उपधारा (1) में खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः-

"(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिज्ञात करें, प्रत्येक समूह के पदों में संवर्ग सदस्य संख्या में कुल रिक्तियों की संख्या का अन्यून चार प्रतिशत, सदर्भित निःशक्त व्यक्तियों, से भरा जाना तात्पर्यित है जिसमें से एक-एक प्रतिशत, खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन सदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन सन्दर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जायेगा, अर्थात्ः-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि,

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास,

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग धात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता,

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता, और मानसिक अस्वस्थता,

(ड.) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है,''

4- मूल अधिनियम में निम्नलिखित अनुसूची अंत में बढ़ा दी जायेगी।

"अनुसूची"

धारा 2 का खण्ड (ड.) देखे

विनिर्दिष्ट शारीरिक निःशक्तता

1- शारीरिक निःशक्तताः-

क- चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता (व्यक्ति की विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता, जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाली या तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा हैं), जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैः-

(क) "कुष्ठ उपचारित व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कुष्ठ से उपचारित है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है -

(एक) हाथ या पैरों में संवेदना का ह्ा्रस के साथ साथ आँख और पलक में संवेदना का ह्रास और आंशिक घात किन्तु व्यक्त विरुपता नहीं है;

(दो) व्यक्त विरुपता और आंशिक घात किन्तु अपने हाथों और पैरों में पर्याप्त चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(तीन) अत्यन्त शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावंस्था, जो उत्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और पद कुष्ठ व्यक्ति का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) ''प्रमस्तिष्क धात'' का तात्पर्य अविकासशील तन्त्रिका सम्बन्धी अवस्थाओं के किसी समूह से है जो शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती हैं, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है, साधारणः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरन्त पश्चात् होती हैं,

(ग) ''बौनापन'' का तात्पर्य किसी चिकित्सीय या आनुवंशिक दशा से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की ऊँचाई चार फीट दस इंच (147 से.मी.) या उससे न्यून रह जाती है,

(घ) ''मांसपेशी दुष्पोषण'' का तात्पर्य वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग के किसी समूह से है जो मानव शरीर को सचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता हैं और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें, उस प्रोटीन को बनाने से, निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वास्थ्य पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी प्रोटीनों में त्रुटियां और पेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है,

(ड.) ''अम्ल आक्रमण पीड़ित'' का तात्पर्य अम्ल या समान संक्षारित पदार्थ फेंकने के द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरुपित किसी व्यक्ति से है।

ख- दृष्टि ह्रास-

(क) ''अंधता'' का तात्पर्य ऐसी दशा से है जहा सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् किसी व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती हैं-

(एक) दृष्टि का पूर्णतया अभाव, या

(दो) सर्वोत्तम सम्भव सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि संवेदनशीलता 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अन्यून, या

(तीन) 10 डिग्री से कम किसी कक्षांतरित कोण पर दृष्टि क्षेत्र की परिसीमा,

(ख) ''निम्न दृष्टि'' का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात-

(एक) बेहतर आंख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ-साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन), दृश्य संवेदनशीलता, या

(दो) 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र की सीमाएं।

ग- श्रवण शक्ति का ह्रास -

(क) ''बधिर'' का तात्पर्य दोनों कानों में संवाद आवृतियों 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्तियों से हैं,

(ख) ''ऊँचा सुनने वाले व्यक्ति'' का तात्पर्य दोनों कानों से संवाद आवृतियों में 60 डिसबिल 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति से है।

घ- ''अभिवाक् और भाषा निःशक्तता'' का तात्पर्य लेराइनजेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियो से उद्भूत होने वाली स्थायी निःशक्तता से है, जो कार्बनिक या तंत्रिका सम्बन्धी कारणों से अभिवाक और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित, करती हैं।

2- **''बौद्धिक निःशक्तता''** ऐसी स्थिति है, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहारिक कौशल श्रृंखला आच्छादित है, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है-

(क) ''विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता'' का तात्पर्य स्थितियों के किसी ऐसे विजातीय समूह से है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणनाओं को समझाने में कमी के रूप में सामने आती हैं और इसके अंतर्गत ऐसी स्थितियां सम्मिलित है यथा-बोधक निःशक्तता, डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी सम्मिलित है,

(ख) ''स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार'' का तात्पर्य किसी ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति से है जो आमतौर पर जीवन के प्रथम तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और प्रायः यह असामान्य या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहारों से सहबद्ध होता है।

3- **मानसिक व्यवहार-**

''मानसिक रूग्णता'' का तात्पर्य चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति के सारभूत विकार से है जो जीवन की सामान्य मांगो को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्ण, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को

प्रभावित करता है किन्तु जिसके अन्त्रगत मानसिक मंदता नहीं हैं जो किसी व्यक्ति के मानसिक का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4- निम्नलिखित के कारण निःशक्तता-

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं जैसे-

(एक) ''बहु-स्केलेरोसिस'' का तात्पर्य प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग से है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारो ओर रीढ़ के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है।

(दो) ''पार्किसन रोग'' का तात्पर्य तंत्रिका प्रणाली के किसी प्रगामी रोग से है, जिके द्वारा कम्प पेशी, कठोरता और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु वाले और वृद्ध लोगों से सम्बंधित मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामाइन के ह्रास से सबद्ध हो।

(ख) रक्त विकृति-

(एक) ''हेमोफीलिया'' का तात्पर्य किसी आनुवंशकीय रोग से है जो प्रायः पुरूषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने पुरूष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(दो) ''थेलेसीमिया'' का तात्पर्य वंशानुगत विकृतियों के किसी समूह से है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है;

(तीन) ''सिक्कल कोशिका रोग'' का तात्पर्य होमालेटिक विकार से है जो रक्त की अत्यंत कमी पीडादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है;

स्पष्टीकरणः- ''हेमोग्लोबिन'' लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5- बधिरता, अंधता सहित बहुनिःशक्तता (ऊपर विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक निःशक्तता का तात्पर्य ऐसी किसी दशा से है जिसमें किसी व्यक्ति को श्रव्य और दृश्य का सम्मिलित ह्रास हो सकता है जिसके कारण संप्रेषण विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर समस्यायें होती है।

6- कोई अन्य श्रेणी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDANTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 2018

(U.P ACT No. 32 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature}

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

It is hereby enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2018.

   (2) It shall be deemed to have come into force on July 23, 2018.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 hereinafter referred to as the principal Act, for clause (e) the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) Physical disability means the disabilities as specified in the Schedule appended to this Act."

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section(1) for clause (ii) the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) In such public services and posts as the State Government may, by notification, identify not less than four percent, of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities of which one percent each shall be reserved for persons with benchmark disabilities under clauses (a), (b), and (c) and one percent for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely:-

(a) Blindness and low vision;

(b) Deaf and hard of hearing;

(c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness;

(e) Multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities."

4. In the principal Act, the following schedule shall be inserted at the end.

SCHEDULE

{See clause (e) of section2}

Specified Physical Disability

1. Physical disability:-

A. Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from-

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissues;

(e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment-

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction-
   (i) total absence of sight; or
   (ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or
   (iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following condition, namely:-
   (i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 up to 3/60 or up to 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or
   (ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

C. Hearing impairment-

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) " hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears.

D. "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterised by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior which covers a range of every day social and practical skills, including-

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behavior,-

"mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands

of life, but does not include retardation which is a conditon of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by subnormality of intelligence.

4. Disability caused due to-

(a) chronic neurological conditions, such as-

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "Parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder-

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group a hemolytic disorder characterised by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterised by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated issue and organ damage;

Explanation:- "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane or red blood cells resulting in the release of haemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the State Government."

नवल किशोर
(परीक्षा नियन्त्रक)
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।